

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीता शर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एलआर एक्ट

01. चुन सिंह पुत्र भैरुसिंह कौम राजपूत साकिन सादोलाई तह. छतरगढ जिला
बीकानेर, राज. प्रार्थी

बनाम

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ।

अप्रार्थी

उपस्थित :

1. श्री हकनवाज, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :-04.01.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की तह. छतरगढ की रोही के ख.न. 280 में 18.00 बीघा भूमि खातेदारी है जिस पर प्रार्थी काबिज काशत है। प्रार्थी का सही नाम चुनसिंह पुत्र भैरुसिंह है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटीवंश चुनसिंह के स्थान पर बचनसिंह लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक बचनसिंह ही चला आ रहा है। जिसे दुरुस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त, पटवारी हल्का, गिरदावर की रिपोर्ट से प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।


वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मीमों के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम तह. छतरगढ की रोही के ख.न. 280 में 18.00 बीघा भूमि खातेदारी है जिस पर प्रार्थी काबिज काशत है। प्रार्थी का सही नाम



चुनसिह पुत्र भैरुसिह है लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटीवंश चुनसिह के स्थान पर बचनसिह लिखा गया था जबकि प्रार्थी का सही नाम चुनसिह पुत्र भैरुसिह है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में जैसे ग्राम पंचायत द्वारा पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, स्वयं द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थी का सही नाम चुनसिह ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम बचनसिह की जगह चुनसिह दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम चुनसिह पुत्र भैरुसिह है एवं प्रार्थी का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटीवंश बचनसिह दर्ज हो गया। इसलिए प्रार्थी की तह. छतरगढ़ की रोही के ख.न. 280 में 18.00 बीघा भूमि खातेदारी है जिस पर प्रार्थी का बिज काशत है। प्रार्थी का नाम बचनसिह के स्थान पर चुनसिह पुत्र भैरुसिह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम बचनसिह के स्थान पर चुनसिह पुत्र भैरुसिह दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है शेष अंकन यथावत रहेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सीता शर्मा)
आरएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)